

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2011

फा. क्रमांक 1204-2011-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री विवेक सिंह, अपर कलेक्टर, विदिशा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर के पद पर स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदस्थ श्री एन. के. त्रिवेदी, संयुक्त कलेक्टर, विदिशा को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.